P.S. तुकोगंज
इन्दौर

कार्यालय पुलिस आयुक्त इन्दौर

न्यू कन्ट्रोल-रूम, भूतल, पलासिया, इन्दौर (म.प्र.)

जनसुनवाई पावती-रसीद

आवेदन क्रमांक 836/12.11.24 दिनांक : 12/11/2024

आवेदक का नाम स्वर्णिम जैन एवं अन्य 8 मो. 99936-12781
96250-63277

आवेदक का पता परमेश्वर आपत 178, श्री विनायक एवन्यू इन्दौर

अनावेदक का नाम धोखाधड़ी के संबंध मो. ....

अनावेदक का पता ....

....

इकाई ....

कार्यालय पुलिस आयुक्त, इन्दौर

(मुहर: कार्यालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त इन्दौर)

O/C

प्रति,

1. माननीय गृहमंत्री महोदय
   म.प्र. शासन भोपाल

2. श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय
   म.प्र. पुलिस भोपाल

3. श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय
   जिला इंदौर (म.प्र.)

विषय :– प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत मिशन को अपना उद्देश्य बताकर आरजीए मार्केटिंग लि. (R/GA Marketing LTD) संचालक यश जैन (मो. नंबर 6262326666) और विशाखा उर्फ प्रीति जैन (मो. नंबर 9977358364) द्वारा नौकरी देने के नाम पर धोखाधड़ी करने, कूट रचित दस्तावेज तैयार करने, भारत सरकार से अनुबंधित और अधिकृत कंपनी होने का दावा कर धोखा देने, सरकारी बैंकों से अनुबंध होने का दावा कर आपराधिक षड़यन्त्र करने, शासकीय कोष को हानी पहुंचाने, अमानत में खयानत कर रुपयों का गबन करने संबंधित धाराओं और विदेशी कंपनियों के नाम को आधार बनाकर वहां देश की छवि धूमिल करने पर राष्ट्रद्रोह की धारा में अपराध दर्ज करने बाबद।

महोदय,

उपरोक्त विषय में हम निम्नलिखित शिकायतकर्ता लिखित शिकायत करते हैं कि :–

1. यह कि, आरजीए मार्केटिंग लि. (R/GA Marketing LTD) संचालक यश जैन और विशाखा उर्फ प्रीति जैन ने खुद को इनोवेशन कंसलटेंसी, डिजिटल डिजाइन और विज्ञापन एजेंसी बताया, जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बताया गया था। साथ ही यह भी दावा किया गया कि इसके अन्य वैश्विक कार्यालय ऑस्टिन, लॉस एंजिल्स, सैन फ्रांसिस्को, पोर्टलैंड, लंदन, बर्लिन, साओ पाउलो, ब्यूनस आयर्स, सिंगापुर, शंघाई, सिडनी और टोक्यो में है। इस तरह दुनिया के हर राज्य में आरजीए मार्केटिंग लि. के 11 कार्यालय बताए गए थे। कंपनी को 2023 में भारत में लॉन्च करना बताया गया था। आरजीए मार्केटिंग लि. द्वारा स्वयं को भारत सरकार की अधिकृत और अनुबंधित कंपनी बताया गया और कई सरकारी बैंकों से टाईअप होने का दावा करते हुए हम शिकायतकर्ताओं का प्लेसमेंट करवाने का विश्वास दिलवाकर षडयन्त्र पुर्वक धोखाधड़ी एवं अमानत में खयानत करते हुए लाखों रुपए हड़प लिये है। (सूचि संलग्न हैं)

2. यह कि, आरजीए मार्केटिंग लि. (R/GA Marketing LTD) के संचालक यश जैन और विशाखा उर्फ प्रीति जैन द्वारा ब्रिलियंट सेंटर, 17 रेसकोर्स रोड, न्यू पलासिया, बास्केटबॉल स्टेडियम के सामने, 452001, इंदौर, मध्य प्रदेश पर अपना कार्यालय प्रारम्भ किया था तथा अपना हेड ऑफिस यूनाइटेड किंगडम (यूके) में होना बताया था। आरजीए मार्केटिंग लि. द्वारा यह दावा किया गया था कि कंपनी को भारत सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया था और कंपनी ने पांच साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसके तहत आरजीए मार्केटिंग लि. (R/GA Marketing LTD) 30 लाख लोगों को रोजगार देगी। 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है और 10 लाख लोगों को शेष दिया जाना है।

3. यह कि, कंपनी ने रोजगार देने के नाम पर उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया हुआ था। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें आईडी प्रदान की जाती थी। कंपनी ने अलग – अलग लोगों के लिए पांच सैलरी स्ट्रक्चर बनाए थे। अलग – अलग सैलरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले उम्मीदवारों से अलग – अलग राशि का निवेश कराया जाता था। जो ज्यादा सैलरी स्ट्रक्चर का चयन करता था, उससे ज्यादा राशि का निवेश रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में करवाया जाता था। कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड कर्मचारी को एक साल तक रोजगार देने का एग्रीमेंट भी किया जाता था। रजिस्टर्ड कर्मचारियों को प्रतिमाह कार्य के हिसाब से प्रति माह 1800 रुपए, 4800 रुपए, 15,000 रुपए, 45,000 रुपए और 1,20,000 रुपए देने का दावा किया जाता था। एक वर्ष तक नौकरी देने के एवज में रजिस्ट्रेशन के समय पर एक माह की सैलरी का निवेश रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में करवाया जाता था। जिसे जितनी राशि सैलरी के रूप में प्रतिमाह चाहिए होती थी, उसे उतनी ही राशि एक बार रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में कंपनी को देना होती थी।

4. यह कि, रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोगों को आरजीए मार्केटिंग लि. के मोबाईल एप्लीकेशन पर जॉब प्रोफाइल और स्ट्रक्चर के अनुरूप अलग –अलग टास्क दिए जाते थे। जिसमें विभिन्न कंपनियों के मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने, अलग – अलग विकल्पों पर क्लिक कर प्रमोशन करने का काम करना होता था और हिट्स के साथ रैंकिंग बढ़ाना होती थी। आरजीए मार्केटिंग लि. के संचालक यश जैन और विशाखा उर्फ प्रीति जैन का दावा था कि इसके लिए वह विभिन्न कंपनियों से पैसा लेती है और ली गई राशि का 60 से 80 प्रतिशत हिस्सा अपने रजिस्टर्ड लोगों को देती है।

5. यह कि, यश जैन और विशाखा उर्फ प्रीति जैन द्वारा रजिस्टर्ड लोगों को यह प्रस्ताव भी दिया गया था कि अगर वे नए लोगों को जोड़ते हैं तो नए सदस्यों द्वारा किए गए निवेश का 50 प्रतिशत उन्हें बोनस राशि के रूप में मिलेगा। जो उनकी अतिरिक्त आय होगी। यानी जो कंपनी में नए लोगों से निवेश करवाएगा, उसे अतिरिक्त लाभ होगा। इस कारण हजारों पुराने लोगों ने लाखों नए लोगों को जोड़ते हुए स्वयं भी निवेश किया और अन्य लोगों से भी निवेश करवाया था।

6. यह कि, आरजीए मार्केटिंग लि. के एजेंट्स और लीडर्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार देश भर में कंपनी ने 22 लाख लोगों को रजिस्टर्ड किया और उनसे करोड़ों रुपए की वसूली की जा चुकी है।

7. यह कि, आरजीए मार्केटिंग लि. के संचालक यश जैन और विशाखा उर्फ प्रीति जैन द्वारा इंदौर के रवींद्र नाट्य गृह में 2 अक्टूबर 2024 को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लोगों को ललचाने और आकर्षित करने के लिए कई वरिष्ठ व्यक्तियों व अन्य समाज सेवियों और सामाजिक संस्था के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। इन सभी ने कंपनी की प्रशंसा की और इनके प्रभाव में आकर हजारों नए लोगों ने कंपनी को ज्वाइन किया और लाखों, करोड़ों रुपए का निवेश किया।

8. यह कि, आरजीए मार्केटिंग लि. द्वारा लाखों लोगों से करोड़ों, अरबों रुपए निवेश करवाने के बाद शुरुआती कुछ महीनों तक उन्हें मोबाइल पर क्लिक करने के एवज में भुगतान किया गया। टीडीएस और जीएसटी काटकर यह भुगतान किया जाता था। यह भुगतान लोगों द्वारा दी गई बड़ी राशि का कुछ प्रतिशत ही होता था। इससे लोगों को भरोसा हुआ कि कंपनी हमारे कार्य का भुगतान कर रही है। इसलिए लोगों ने और ज्यादा निवेश किया और नए लोगों से भी करवाया।

9. यह कि, आरजीए मार्केटिंग लि. के संचालक यश जैन और विशाखा उर्फ प्रीति जैन द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोगों से कंपनी अकाउंट की बजाय अलग – अलग क्यू आर कोड पर भुगतान करवाया जाता था। ये क्यू आर कोड अलग – अलग शहर के लोगों के होते थे और बाद में कंपनी संचालक यश जैन और विशाखा उर्फ प्रीति जैन उनसे नगद राशि प्राप्त कर लेते थे। बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने के नाम पर कंपनी बैंक अकाउंट धारकों को एक प्रतिशत राशि खाता इस्तेमाल करने के किराये के रूप में देती थी।

10. यह कि, आरजीए मार्केटिंग लि. संचालक यश जैन और विशाखा उर्फ प्रीति जैन द्वारा हर सप्ताह कुछ भुगतान रजिस्टर्ड लोगों को दिया जाता था। 9 अक्टूबर 2024 तक कुछ लोगों को भुगतान प्राप्त हुआ, लेकिन इसके बाद आरजीए मार्केटिंग लि. संचालक यश जैन और प्रीति जैन ने पैसा देना बंद कर दिया गया। जिन लोगों ने जिम्मेदार पदाधिकारियों से बात करना चाही, उन्हें टालमटोल कर रवाना कर दिया गया। कई दिनों तक रजिस्टर्ड कर्मचारी परेशान होते रहे, लेकिन तकनीकी समस्या बताकर भुगतान शुरू नहीं किया गया।

11. यह कि, कंपनी संचालक यश जैन और विशाखा उर्फ प्रीति जैन ने दिनांक 23.10.2024 को सभी सदस्यों को मेसेज दिया कि भारत सरकार को 25 प्रतिशत प्लेटफॉर्म शुल्क जमा करना है तब ही सबका भूगतान किया जा सकेगा इसलिए सभी सदस्य अपने सदस्यता शुल्क के रूप में जमा की गई राशि का 25 प्रतिशत भूगतान 24.10.2024 की शाम तक प्लेटफॉर्म शुल्क के रूप में अनिवार्य रूप से जमा करे अन्यथा भारत सरकार द्वारा भूगतान रोक दिया जावेगा, इस पर हम शिकायतकर्ताओं के साथ–साथ बाकी भी सभी सदस्यों ने प्लेटफॉर्म शुल्क की राशि कंपनी संचालक यश जैन और विशाखा उर्फ प्रीति जैन द्वारा दिये गये क्यु.आर.कोड व यु.पी.आई. पर कर दिया था इसके बाद कंपनी संचालक यश जैन और विशाखा उर्फ प्रीति जैन ने 25.10.2024 को अचानक अपनी वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन बंद कर दिए और सबके फोन उठाना बंद कर दिए।

12. यह कि, आरजीए मार्केटिंग लि. के संचालक यश जैन और विशाखा उर्फ प्रीति जैन के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाने हेतु सेकड़ों पिड़ित सदस्य तुकोगंज थाने गए और पुरे घटनाक्रम और धोखाधड़ी की शिकायत बताई जिस पर थाना प्रभारी महोदय द्वारा मात्र देवेन्द्र चंदानी नामक सदस्य की शिकायत स्वीकार कर आरोपीगण के विरूद्ध बी.एन.एस. की धारा 318 (4), 316 (2) व 3 (5) के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज की गई जिसका क्रमांक 624/2024 है, शेष शिकायतकर्ताओं की शिकायत व कथन को नजर–अंदाज करते हुए उसी दिन आरोपीगण को थाने से जमानत भी प्रदान कर दी गई जबकि आरोपीगण के विरूद्ध भारत सरकार के नाम का दुरूपयोग कर सेकड़ों लोगों के साथ करोड़ों रूपयों की धोखाधड़ी करने, वैधानिक रूप से जीएसटी व टी.डी.एस. के रूप में शुल्क वसुल कर शासकीय कोष में जमा नहीं करवा कर शासकीय राजस्व को हानि पहुंचाने एवं भारत सरकार की छवि धूमिल करने जैसे गंभीर आरोप थे जिसकी विधिवत जांच कर उचित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाना था।

13. यह कि, सभी शिकायतकर्ता एवं अन्य कई पिड़ित सदस्यों के बार–बार थाने पर जाने और निवेदन करने के बाद भी जांच कर्ता अधिकारी द्वारा प्रकरण की न्यायोचित जांच नहीं करते हुए आरोपीगण को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है।

14. यह कि, आरोपीगण यश जैन और विशाखा उर्फ प्रीति जैन पेशेवर अपराधी होकर अनके विरूद्ध दिसम्बर 2020 में थाना विजय नगर इंदौर में ड्रग्स सप्लाई व देह व्यापार संबंधित अपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुआ था। (जानकारी संलग्न है)

15. यह कि, आरोपीगण यश जैन और विशाखा उर्फ प्रीति जैन ने कूट रचित दस्तावेज तैयार किए, भारत सरकार से अनुबंधित और अधिकृत कंपनी होने का झूठा दावा किया, सरकारी बैंकों से टाईअप होने का दावा कर हम शिकायतकर्ता के सहित सैकड़ों लोगों को बरगलाया और अपराधीक षड़यन्त्र व धोखाधड़ी करते हुए हम शिकायतकर्ता के साथ 40,84,450/– की धोखाधड़ी की है साथ ही अन्य सैकड़ों लोगों के करोड़ों रुपए का गबन किया जो कि गंभीर आर्थिक अपराध की श्रेणी का होकर दण्डनीय है साथ ही आरोपीगण ने विदेशों की कंपनियों के नाम को आधार बनाकर व भारत सरकार से अनुबंधीत होकर लोगों को नौकरी देने का झांसा दिया है जिससे भारत सरकार की छवि धूमिल हुई है साथ ही लोगों के मन में सरकार के प्रति असंतोष व अविश्वास भी उत्पन्न होता है।

16. यह कि, आरोपीगण यश जैन और विशाखा उर्फ प्रीति जैन द्वारा वेबसाईट एवं मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाईन रूपयों की ठगी की है इसलिए आरोपीगण का अपराध आई.टी एक्ट एवं सायबर क्राईम के अंतर्गत भी दण्डनीय है इसलिए संपूर्ण प्रकरण की जांच किसी तकनीकी विशेषज्ञ जांच समिति से करवाई जानी चाहिए।

17. यह कि, शिकायतकर्ताओं द्वारा आरोपीगण को किये गये भूगतान के संबंध में एवं अन्य आरोपों से संबंधित सभी दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध है जो विवेचना के समय उपलब्ध करवाने हेतु सभी शिकायतकर्ता तत्पर है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि :–

1. आरोपीगण के द्वारा किये गये संपूर्ण अपराधीक कृत्य की जांच के लिए विशेष जांच टीम गठीत की जाकर सभी शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत

दस्तावेजों एवं प्रमाण के आधार पर उचित व योग्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में उचित जांच व कानूनी कार्यवाही किये जाने की कृपा करें।

2. आरोपीगण के फरार होने की पूर्ण संभावना है इसलिए थाना तुकोगंज में दर्ज प्रकरण क्रमांक 624/2024 में थाने से प्रदान की गई जमानत निरस्त की जाकर आरोपीगण को तत्काल पुलिस हिरासत में लिये जाने बाबद् आदेश जारी करने की कृपा करे।

शिकायतकर्तागण

इंदौर
दिनांक :– 12/11/2024

नाम	मोबाईल नं.	राशि	हस्ताक्षर
स्वतन्त्र जैन	9993612731	6,65,625/–	
सुनिल शर्मा	7389509432	8,14,544/–	
अनिल कुशवाह	8839901884	3,45,710/–	
अशोक ठाकुर	9039903377	4,50,000/–	
सुशील जोशी	9039020025	56,250/–	
परमेश्वर यादव	9425063277	2,55,925/–	
महेन्द्र पाल	8269032205	7,16,696	
चन्द्रकांत श्रीवास	9827344543	5,31,150/–	
देवेन्द्र गुप्ता	6261021651	2,48,550/–	
	कुल	40,84,450/–	

संलग्न :– 1. आरोपीगण द्वारा प्रकाशित कर्मचारी हैंडबुक
2. आरोपीगण के विरूद्ध पुर्व में दर्ज आपराधिक प्रकरण के संबंध में प्रकाशित समाचार की प्रति

प्रतिलिपि :–
1. माननीय प्रधानमंत्री महोदय
भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली

2. माननीय गृह मंत्री महोदय
भारत सरकार
गृहमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली